

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/4488

भोपाल, दिनांक 10-10-23

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वन मण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश

विषय:- खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वन भूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत।

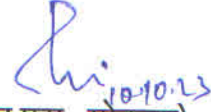
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3049 दिनांक 21.08.2023

---0---

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा चाही गई जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत की है।

आपके द्वारा प्रेषित जानकारी में लेख किया है कि आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित वनक्षेत्र इस ऑनलाईन प्रकरण से हटा दिया गया है एवं आवेदक संस्थान द्वारा खण्डवा वन मण्डल के प्रभावित वनक्षेत्र हेतु पृथक से ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया है।

प्रकरण में आपके द्वारा ऑनलाईन भाग-2 में से खण्डवा वन मण्डल का प्रभावित वनक्षेत्र हटाया नहीं गया है। अतः ऑनलाईन भाग-2 से खण्डवा वन मण्डल के प्रभावित वनक्षेत्र की जानकारी पोर्टल से हटाई जावे, ताकि प्रकरण में शेष बड़वाह वन मण्डल के प्रभावित वनक्षेत्र के अनुमति की कार्यवाही की जा सके।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/4489

भोपाल, दिनांक 10-10-23

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल